अध्याय छः – गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के कार्यकलाप

6.1 प्रस्तावना

31 मार्च 2019 की स्थिति में, ऊर्जा क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में राज्य के 25 पीएसयूज (चार सरकारी कम्पनियाँ[1] जिनके निगमन की सूचना लेखापरीक्षा को 2018–19 के दौरान दी गई थी, को सम्मिलित करते हुये) थे। राज्य के ये पीएसयूज 1981–82 से 2018–19 के दौरान निगमित हुये थे तथा इनमें 24 सरकारी कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम (सीएसडब्ल्यूसी) सम्मिलित थे। इन 25 में से तीन पीएसयूज (छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड, सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलियरीज लिमिटेड तथा सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड) निष्क्रिय थे तथा 22 पीएसयूज कार्यरत थे। इन कार्यरत पीएसयूज में से 15 पीएसयूज, जिनके लेखे 31 दिसंबर 2019 की स्थिति में दो या उससे कम वर्षों के लिए बकाया थे, के वित्तीय निष्पादन के विश्लेषण को इस प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया गया है (**परिशिष्ट 6.1**)। शेष सात पीएसयूज, जिनके लेखे तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया थे/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे/व्यवसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं हुई थी, के साथ ही तीन निष्क्रिय पीएसयूज में सरकारों द्वारा किए गए निवेशों का विवरण **परिशिष्ट 6.2** में दिया गया है।

6.1.1 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

राज्य के पीएसयूज के टर्नओवर से जीएसडीपी का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों को दर्शाता है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान गैर–ऊर्जा क्षेत्र के 15 कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर में परिवर्तन 2.38 प्रतिशत तथा 58.02 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि इसी अवधि में राज्य के जीएसडीपी में परिवर्तन 9.66 प्रतिशत तथा 12.02 प्रतिशत के मध्य रहा। 2016–19 की तीन वर्ष की अवधि में जीएसडीपी का कम्पाउन्डेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट (सीएजीआर[2]) 6.96 प्रतिशत रहा। इसके विरूद्ध, गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर ने इसी अवधि में 17.39 प्रतिशत का उच्चतर सीएजीआर दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी में इन पीएसयूज के टर्नओवर की भागीदारी वर्ष 2016–17 में 3.41 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 4.51 प्रतिशत हो गई।

तालिका 6.1 मार्च 2019 को समाप्त हो रहे तीन वर्षों की अवधि के लिए कार्यरत गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के टर्नओवर तथा छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के विवरण को दर्शाती है।

तालिका 6.1: कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2017–18	2018–19
टर्नओवर	8,688.09	13,729.03	14,056.20
विगत वर्ष के टर्नओवर की तुलना में टर्नओवर में परिवर्तन का प्रतिशत	9.64	58.02	2.38
वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का जीएसडीपी	2,54,722	2,84,194	3,11,660
विगत वर्ष के जीएसडीपी की तुलना में जीएसडीपी में परिवर्तन का प्रतिशत	12.02	11.57	9.66
छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी से टर्नओवर का प्रतिशत	3.41	4.83	4.51

(स्त्रोतः टर्नओवर : पीएसयूज के लेखे ; जीएसडीपी : छत्तीसगढ़ शासन की आर्थिक समीक्षा 2018–19)

[1] छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड

[2] सीएजीआर = [{(2018–19 की वेल्यू/2016–17 की वेल्यू)^ (1/3 वर्ष)}–1] x 100

6.2 राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में निवेश

31 मार्च 2019 की स्थिति में 15 कार्यरत पीएसयूज की पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश का विवरण **परिशिष्ट 6.3** में दिया गया है। गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का विश्लेषण तीन वर्गों[3] में निम्नानुसार किया गया है:

1. पीएसयूज जो खुले बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकार परिवेश वाले): 15 कार्यरत पीएसयूज में से तीन पीएसयूज इस वर्ग में आते हैं क्योंकि उनके परिचालनों का स्वभाव एकाधिकारी/अल्पाधिकारी है अर्थात् उनके परिचालनों में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।

2. निश्चित आय वाले पीएसयूज: इस वर्ग में वे पीएसयूज सम्मिलित हैं जिनकी मुख्य आय निश्चित स्त्रोतों जैसे कि शासकीय अनुदान/सब्सिडी, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से होती है। 15 में से 10 पीएसयूज इस वर्ग में आते हैं।

3. प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश वाले पीएसयूज: इस वर्ग में वे पीएसयूज सम्मिलित हैं जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले हैं। शेष दो पीएसयूज इस वर्ग में आते हैं।

31 मार्च 2019 की स्थिति में उपरोक्त क्षेत्रों के इन पीएसयूज में निवेश का सारांश **तालिका 6.2** में दिया गया है।

तालिका 6.2: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार	पीएसयूज की संख्या	निवेश						
		पूँजी			दीर्घावधि ऋण			योग
		राज्य	केंद्र	अन्य[4]	राज्य	केंद्र	अन्य[4]	
एकाधिकार परिवेश वाले	3	25.88	0.92	–	339.00	–	–	365.80
निश्चित आय वाले	10	22.30	–	2.32	137.00	–	405.29	566.91
प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश वाले	2	1.00	–	4.90	261.97	–	1.48	269.35
योग	**15**	**49.18**	**0.92**	**7.22**	**737.97**	–	**406.77**	**1,202.06**
पीएसयूज निष्क्रिय/ बकाया लेखों वाले	10	31.45	24.50	108.70	0.00	–	1,130.20	1,294.85
महायोग	**25**	**80.63**	**25.42**	**115.92**	**737.97**	–	**1,536.97**	**2,496.91**

(स्त्रोत: पीएसयूज द्वारा प्रदत्त जानकारी)

31 मार्च 2019 की स्थिति में, 15 पीएसयूज में कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों) का 4.77 प्रतिशत पूँजी में तथा 95.23 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण में था। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 64.47 प्रतिशत (₹ 737.97 करोड़) था, जबकि 35.53 प्रतिशत (₹ 406.77 करोड़) दीर्घावधि ऋण अन्य स्त्रोतों: जैसे राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (₹ 56.82 करोड़), छत्तीसगढ़ मंडी बोर्ड (₹ 25.91 करोड़), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (₹ 322.56 करोड़) एवं संबंधित होल्डिंग कम्पनियों (₹ 1.48 करोड़) से लिए गए थे।

राज्य के 15 पीएसयूज में निवेश 2016–17 के ₹ 449.29 करोड़ से 31 मार्च 2019 की स्थिति में 167.54 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,202.06 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण दीर्घावधि ऋण में

[3] एकाधिकार परिवेश वाले पीएसयूज, पीएसयूज जिनकी निश्चित आय है तथा पीएसयूज जो प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में है।

[4] अन्य में होल्डिंग कम्पनियाँ, वित्त संस्थाएँ, बैंक इत्यादि का निवेश शामिल है।

₹ 748.77 करोड़ एवं पूँजी में ₹ 4.00 करोड़ की वृद्धि होना था।

31 मार्च 2019 की स्थिति में 10 पीएसयूज (25 पीएसयूज में से) जिनके लेखे तीन या उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया थे/प्रथम लेखे अंतिमीकृत नहीं किए गए थे, से संबंधित ₹ 1,294.85 करोड़ (164.65 करोड़ की पूँजी तथा ₹ 1,130.20 करोड़ दीर्घावधि ऋण को सम्मिलित करते हुए) के निवेश, गैर–ऊर्जा क्षेत्र के 25 पीएसयूज के कुल निवेश (₹ 2,496.91 करोड़) का एक प्रमुख हिस्सा (51.86 प्रतिशत) है।

वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान गैर–ऊर्जा क्षेत्र के 15 पीएसयूज में राज्य सरकार का वर्षवार निवेश **चार्ट 6.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.1 : गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में जीओसीजी का कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

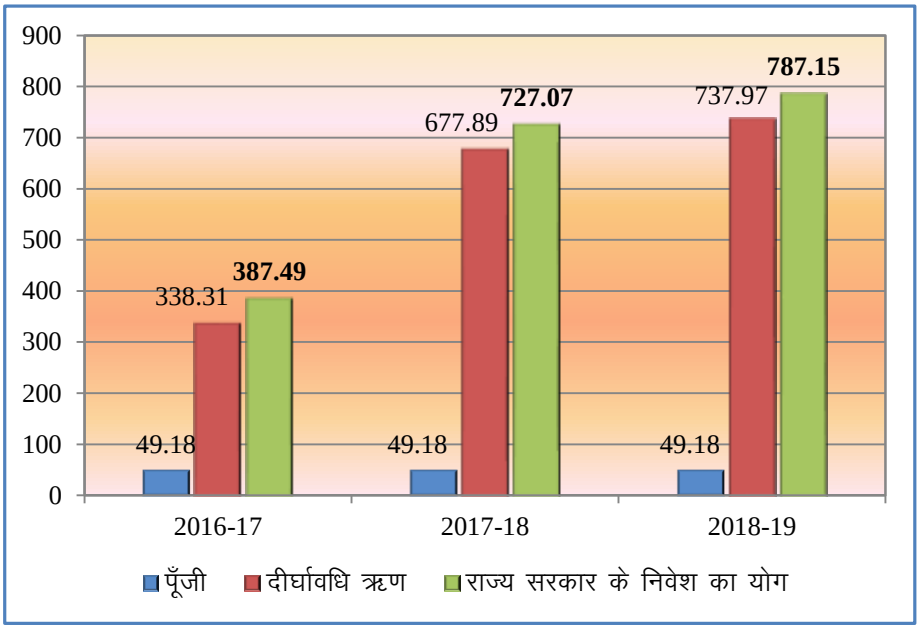

6.3 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का पुनर्गठन, विनिवेश तथा निजीकरण

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्गठन या निजीकरण नहीं किया गया।

6.4 राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को बजटीय सहायता

राज्य सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से राज्य के पीएसयूज को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण **चार्ट 6.2** में दिया गया है।

चार्ट 6.2: पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय बहिर्गमन

(₹ करोड़ में)

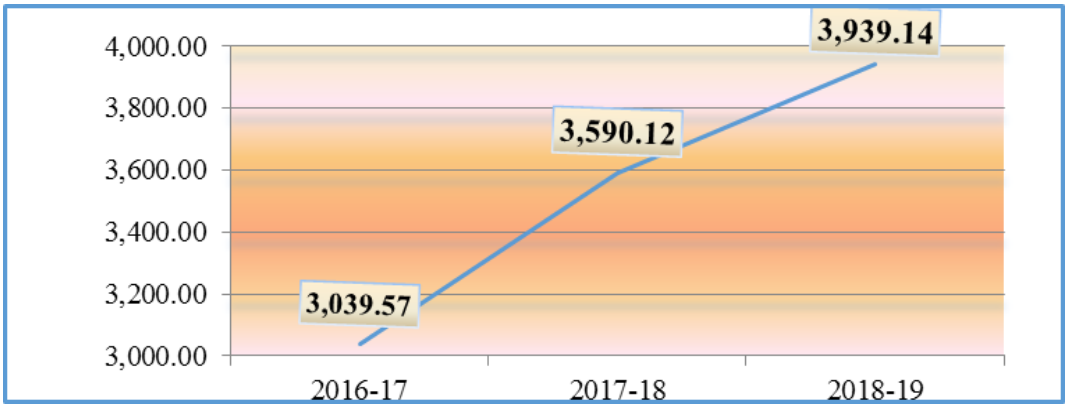

मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के संबंध में पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण तथा पूँजी में परिवर्तित ऋण के रूप में बजटीय बहिर्गमन का सारांशित विवरण **तालिका 6.3** में दिया गया है। वर्ष 2018–19 के दौरान पीएसयूज वार बजटीय सहायता का विवरण **परिशिष्ट 6.4** में दिया गया है।

तालिका 6.3: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज को बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
(i) अंश पूँजी	1	4.00	–	–	–	–
(ii) ऋण	2	151.86	2	297.81	2	82.71
(iii) अनुदान/सब्सिडी	9	2,883.71	9	3,292.31	9	3,856.43
बहिर्गमन का योग (i+ii+iii)	**12**	**3,039.57**	**11**	**3,590.12**	**10**	**3,939.14**
बकाया गारंटी	1	12.00	2	178.65[5]	3	502.63[6]
गारंटी प्रतिबद्धता	**1**	**32.50**	**2**	**832.50[7]**	**3**	**4,298.59[8]**

(स्रोतः पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित)

जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से देखा जा सकता है, गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा 2016–17 में प्राप्त वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 3,039.57 करोड़ से 2018–19 में बढ़कर ₹ 3,939.14 करोड़ हो गयी है। वर्ष 2018–19 में प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 3,939.14 करोड़ में ₹ 82.71 करोड़ ऋण तथा ₹ 3,856.43 करोड़ अनुदान/सब्सिडी के रूप में है। छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड को खनिज उत्खनन कार्य के लिए ऋण (₹ 82.65 करोड़) के रूप में बजटीय सहायता प्रदान की

[5] छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (₹ 170.15 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 8.50 करोड़) ।

[6] छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (₹ 374.85 करोड़), छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (₹ 103.78 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 24.00 करोड़) ।

[7] छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (₹ 800.00 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 32.50 करोड़) ।

[8] छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड (₹ 800.00 करोड़), छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (₹ 3,427.28 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ निशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (₹ 71.31 करोड़) ।

गई। अनुदान/सब्सिडी का मुख्य भाग छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य आपूर्ति के लिए वाहनों की खरीद के लिए ऋण (₹ 0.06 करोड़) के अलावा रियायती दरों पर खाद्यान्न प्रदान करने हेतु (₹ 2,850.23 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 646.57 करोड़) को निक्षेप कार्य जैसे सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को बीज/कीटनाशक/यंत्र की खरीदारी और वितरण के लिए ₹ 85.91 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड को भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए ₹ 46.95 करोड़ की अनुदान/सब्सिडी प्रदान की गई। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड को पुलिस थाना तथा आवास के निर्माण हेतु ₹ 37.89 करोड़ अनुदान के रूप में प्रदान किये गये तथा ₹ 4.00 करोड़ स्थापना अनुदान के रूप में प्रदान किये गये। वहीं अटल नगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए ₹ 114.00 करोड़ की सहायता प्राप्त की।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार गारंटी नियम (सीएसजीजीआर), 2003 के अन्तर्गत राज्य सरकार मूलधन तथा ब्याज पुनर्भुगतान की गारंटी देकर राज्य पीएसयूज को बैंको तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने में मदद करती है। इन नियमों के अनुसार, पीएसयूज से गारंटी शुल्क की वसूली उस दर पर की जाती है और उस तरीके से की जाती है जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के अनुदान आदेश में निर्दिष्ट होता है। वर्ष 2018–19 में तीन पीएसयूज के संदर्भ में ₹ 502.63 करोड़ की गारंटी प्रतिबद्धता लंबित है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस हाऊसिंग निगम से ₹ 1.62 करोड़ गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त होना था।

6.5 राज्य सरकार के वित्त लेखों से मिलान

राज्य पीएसयूज के अभिलेखों में पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों से संबंधित आंकड़ों का राज्य सरकार के वित्त लेखों के आंकड़ों से मिलान होना चाहिए। यदि उक्त आंकड़ों का मिलान नहीं होता है तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2019 की स्थिति में इससे संबंधित स्थिति **तालिका 6.4** में दर्शित है।

तालिका 6.4: राज्य के वित्त लेखों एवं राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटी

(₹ करोड़ में)

संबंधित लंबित राशि	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
पूँजी	49.30	80.63	31.33
ऋण	394.71	737.97	343.26
गारंटी	4,298.59	4,297.59	–1.00

(स्त्रोत : छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखों एवं पीएसयूज द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

यह पाया गया कि 10 पीएसयूज के संदर्भ में अंतर ज्ञात हुआ जैसा कि **परिशिष्ट 6.5** में दर्शाया गया है। प्रमुख अंतर, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (पूँजी ₹ 19.18 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (पूँजी ₹ 7,000; ऋण ₹ 165.00 करोड़), छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड (पूँजी ₹ 21.50 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (पूँजी ₹ 9.50 करोड़) तथा छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (ऋण ₹ 179.32 करोड़) में देखा गया। पूँजी, ऋण और गारंटी के आंकड़ों में अंतर का मिलान विगत एक लंबे समय से लंबित है। इस मुद्दे को समय–समय पर पीएसयूज तथा विभागों के समक्ष उठाया गया है। जरूरी है कि राज्य सरकार शीघ्रता से कदम उठाते हुए दोनों समूह के आंकड़ों के अंतर के पीछे के कारणों का विश्लेषण संबंधित पीएसयूज के परामर्श से करे और एक समय सीमा के अंदर मिलान सुनिश्चित करे।

6.6 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा लेखों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के कुल 25 पीएसयूज में से 22 कार्यरत् पीएसयूज है (21 सरकारी कम्पनियाँ तथा एक सांविधिक निगम)। इन कार्यरत् पीएसयूज द्वारा लेखों की तैयारी में समयबद्धता की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

6.6.1 राज्य पीएसयूज द्वारा लेखों को तैयार करने की समयबद्धता

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, सभी कार्यरत् पीएसयूज को 30 सितम्बर 2019 तक वर्ष 2018–19 का लेखा प्रस्तुत करना था। फिर भी 21 कार्यरत सरकारी कम्पनियों में मात्र सात सरकारी कम्पनियों ने वर्ष 2018–19 के लेखे सीएजी द्वारा लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किए। वही 31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में 14 सरकारी कम्पनियों के लेखे बकाया थे। सांविधिक निगम के वर्ष 2018–19 के लेखे सीएजी लेखापरीक्षा के लिए समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए थे। 31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में, कार्यरत् गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों के प्रस्तुतीकरण में बकाया से संबंधित विवरण **तालिका 6.5** में दिया गया है।

तालिका 6.5: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के द्वारा लेखों को प्रस्तुत करने की स्थिति

विवरण		सरकारी कम्पनियाँ / सांविधिक निगम		
		सरकारी कम्पनियाँ	सांविधिक निगम	कुल योग
31 मार्च 2019 की स्थिति में सीएजी की लेखापरीक्षा के अंतर्गत पीएसयूज की कुल संख्या		24[9]	1	25
पीएसयूज की संख्या जिनके वर्ष 2018–19 के लेखे बकाया थे		24	1	25
पीएसयूज की संख्या जिन्होंनें 31 दिसम्बर 2019 तक सीएजी लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		8	1	9
बकाया लेखों की संख्या		24[10]	..	24
बकाया लेखों का ब्यौरा	i) निष्क्रिय	3	..	3
	ii) जिनका पहला लेखा प्रस्तुत न हुआ हो	4	..	4
	iii) अन्य	17	..	17
श्रेणी (iii) का वर्षवार विश्लेषण	एक वर्ष (2018–19)	8	..	8
	दो वर्ष (2017–18 तथा 2018–19)	2	..	2
	तीन वर्ष या अधिक	7	..	7

तीन निष्क्रिय पीएसयूज में से एक ने वर्ष 2018–19 के लेखे प्रस्तुत किया है, जबकि बाकी दो पीएसयूज के लेखे 31 दिसम्बर 2019 के स्थिति में बकाया रहे। इसके अतिरिक्त, राज्य के दो पीएसयूज अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (चार लेखे) तथा छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड (तीन लेखे) के लेखे तीन या अधिक वर्षों के लिए बकाया थे।

वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य सरकार ने सात ऐसे पीएसयूज को ₹ 3,696.60 करोड़[11] की बजटीय

[9] इस आंकड़े में तीन गैर कार्यरत पीएसयूज तथा चार नये निगमित पीएसयूज सम्मिलित है।

[10] इस आंकड़े में सम्मिलित तीन लेखे दो गैर कार्यरत् पीएसयूज के हैं तथा 12 लेखे उन छह पीएसयूज के हैं जिनके लेखे तीन या उससे अधिक वर्ष से बकाया हैं अथवा जो कार्यरत् नहीं है अथवा जिनका पहला लेखा प्राप्त नहीं हुआ है या बकाया नहीं है या फिर जिनकी व्यवसायिक गतिविधियाँ शुरू नहीं हुई है (**परिशिष्ट 6.2**)।

[11] ऋण ₹ 0.06 करोड़, अनुदान ₹ 760.40 करोड़ तथा सब्सिडी ₹ 2,936.14 करोड़ जैसा कि **परिशिष्ट 6.4** में दर्शाया गया है।

सहायता प्रदान की जिनके लेखे दिनांक 31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में बकाया थे।

इन इकाईयों की गतिविधियों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभागों की है। इसलिए इन्हें ये सुनिश्चित करना है कि ये पीएसयूज निर्धारित समय सीमा में अपने लेखों को अंतिमीकृत करे तथा उनके निदेशक मण्डल लेखों को स्वीकार करें।

अंतिमीकृत लेखों तथा उसके उपरांत होने वाली लेखा परीक्षा के अभाव में निवेशों तथा किये गये व्ययों के लेखांकन को सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिये इन राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में राज्य सरकार के निवेश राज्य विधायिका की निगरानी से बाहर रहे।

6.7 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के निष्क्रिय पीएसयूज का समापन

31 मार्च 2019 की स्थिति में, राज्य के तीन निष्क्रिय[12] पीएसयूज में कुल निवेश ₹ 338.68 करोड़ (पूँजी ₹ 104.70 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण ₹ 233.98 करोड़) का था। ये पीएसयूज छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (पूँजी ₹ 21.94 करोड़), सीएसपीजीसीएल एईएल परसा कोलयरीज लिमिटेड (पूँजी ₹ 0.16 करोड़, ऋण ₹ 2.27 करोड) तथा सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (पूँजी ₹ 82.60 करोड़, ऋण ₹ 231.71 करोड़) थे। इन पीएसयूज के समापन के संबंध में सरकार उचित निर्णय ले सकती है (**परिशिष्ट 6.2**)।

6.8 राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों का अंतिमीकरण नहीं किए जाने का प्रभाव

जैसा कि **कंडिका 6.6.1** में बताया गया है, लेखों के अंतिमीकरण में विलंब से न केवल प्रासंगिक विधियों के प्रावधानों का उल्लंघन होता है बल्कि इससे धोखाधड़ी तथा लोक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखों के बकाया के दृष्टिकोण से वर्ष 2018–19 के लिए राज्य की जीडीपी में राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का वास्तविक योगदान तथा अर्जित लाभ/वहन की हुई हानि को सम्मिलित करते हुए उनकी लाभप्रदायकता का आंकलन नहीं किया जा सका तथा राजकीय कोष में उनके योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया जा सका।

इसलिये, यह अनुशंसा की जाती है कि राज्य सरकार प्रशासनिक विभागों को प्रत्येक पीएसयूज के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु उचित दिशा–निर्देश जारी करें तथा बकायों के निपटान की कड़ाई से निगरानी करें। राज्य सरकार को लेखों के अंतिमीकरण के लिए त्वरित रूप से उचित कदम उठाने की जरूरत है।

6.9 राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का निष्पादन

31 दिसम्बर 2019 की स्थिति में अद्यतन अंतिमीकृत लेखों[13] के अनुसार 15 राज्य पीएसयूज की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणाम **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

पीएसयूज द्वारा राज्य सरकार के इन उपक्रमों में किये गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। छत्तीसगढ़ शासन/भारत सरकार (जीओआई) और अन्य का 15 पीएसयूज में कुल निवेश ₹1,202.06 करोड़ **(परिशिष्ट 6.3)** था जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 57.32 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1,144.74 करोड़ सम्मिलित था। इनमें से 11 राज्य पीएसयूज में छत्तीसगढ़ शासन का निवेश ₹ 787.15 करोड़ है जिसमें पूँजी ₹ 49.18 करोड़ एवं दीर्घावधि ऋण ₹ 737.97 करोड़ सम्मिलित थे।

[12] इनके कोल ब्लॉक्स रद्द होने के कारण

[13] 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान

जैसा कि अध्याय पांच के **कंडिका 5.6** में चर्चा की गई है, किसी कम्पनी की लाभप्रदायकता को पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आरओआई), पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) से मापा जाता है।

6.9.1 निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

2016–17 से 2018–19 के दौरान 15 कार्यरत् पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि[14] की समग्र स्थिति को **चार्ट 6.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.3: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि।

(₹ करोड़ में)

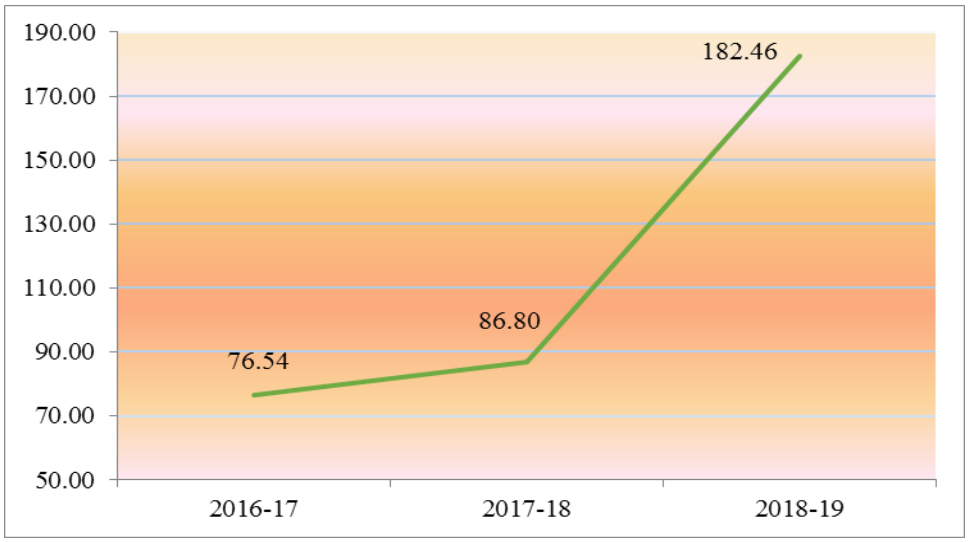

अद्यतन अंतिमीकृत लेखों के अनुसार कार्यरत् पीएसयूज का समग्र लाभ 2016–17 में ₹ 76.54 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹ 182.46 करोड़ हो गया। इनमें से नौ पीएसयूज ने ₹ 202.27 करोड़ लाभ अर्जित किया एवं चार पीएसयूज ने ₹ 19.81 करोड़ की हानि वहन की जबकि शेष दो[15] पीएसयूज ने न लाभ न हानि प्रतिवेदित की। विवरण **परिशिष्ट 6.1** में दिया गया है।

वर्ष 2018–19 से गोदाम किराये की दर में वृद्धि के कारण सीएसडब्ल्यूसी द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि हुई जिसके कारण इन नौ पीएसयूज के द्वारा अर्जित लाभ में वृद्धि हुई। 2018–19 में समस्त 15 पीएसयूज में पूँजी पर प्रतिफल 17.81 प्रतिशत था।

वर्ष 2018–19 के दौरान पीएसयूज के क्षेत्रवार लाभ का विवरण **तालिका 6.6** में सारांशीकृत किया गया है।

[14] आंकड़ें संबंधित वर्ष के अद्यतन अंतिमीकृत लेखों पर आधारित है।

[15] अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड एवं बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड

तालिका 6.6: क्षेत्रवार लाभ अर्जित करने वाले गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज

क्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	करों के पश्चात् लाभ (पीएटी) (₹ करोड़ में)	पीएटी पर लाभ का प्रतिशत
एकाधिकार क्षेत्र वाले पीएसयूज	2	30.98	15.32
निश्चित आय वाले पीएसयूज	6	171.13	84.60
प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले पीएसयूज	1	0.16	0.08
कुल	**9**	**202.27**	

(स्त्रोतः पीएसयूज के वार्षिक लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 15 पीएसयूज में से आठ पीएसयूज ने 99.92 प्रतिशत (₹ 202.11 करोड़) लाभ अर्जित किया जिन्हें एकाधिकार का लाभ प्राप्त हुआ अथवा बजटीय सहायता, सेन्टेज, कमीशन, बैंक जमाओं पर ब्याज इत्यादि से प्राप्त होने वाली निश्चित आय थी।

2018–19 के दौरान प्रमुख लाभ कमाने वाली पीएसयूज में छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम (₹ 138.69 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 23.34 करोड़) और छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (₹ 18.55 करोड़) थी, जबकि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड ने ₹ 17.68 करोड़ की अत्यधिक हानि वहन की।

2016–17 से 2018–19 के दौरान अर्जित लाभ/वहन की गई हानि की स्थिति को **तालिका 6.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.7: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि का विवरण

वित्तीय वर्ष	गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले पीएसयूज की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले पीएसयूज की संख्या	पीएसयूज की संख्या जिनकी वर्ष के दौरान सीमांत[16]/शून्य लाभ/हानि थी
2016–17	14	10	2	2[17]
2017–18	15	10	4	1
2018–19	15	9	4	2

6.9.1.1 निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल को **तालिका 6.8** में दर्शाया गया है।

[16] ऐसे पीएसयूज जिन्होंनें एक लाख से कम लाभ/हानि अर्जित की।

[17] पीएसयूज के आंकड़ों में छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड सम्मिलित है जो कि 27 फरवरी 2017 को निगमित हुई एवं इसके निगमित होने के दिनांक से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लेखे, वर्ष 2017–18 के लेखों के साथ 13 महीनों की अवधि के लिए तैयार किया गया था।

तालिका 6.8: राज्य सरकार के निवेश पर ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक लागत के आधार पर पूँजी, दीर्घावधि ऋण, अनुदान एवं सब्सिडी के रूप में निवेश				वर्ष के लिए कुल लाभ/हानि	निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
	राज्य	केंद्र	अन्य	कुल		
2016–17	420.61	0.92	60.88	482.41	76.54	15.87
2017–18	765.83	0.92	238.02	1,004.77	86.80	8.64
2018–19	830.31	0.92	413.99	1,245.22	182.46	14.65

15 कार्यरत पीएसयूज के निवेश का ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल धनात्मक था एवं 2016–17 से 2018–19 के दौरान 8.64 प्रतिशत से 15.87 प्रतिशत के मध्य रहा।

6.9.1.2 निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

जैसा कि **कण्डिका 5.6.1.2** में चर्चा की गई है, राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश पर वास्तविक प्रतिफल जानने के लिए धन के वर्तमान मूल्य (पीवी) को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिफल की गणना की गई, क्योंकि प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के पीवी की उपेक्षा करती है। इन पीएसयूज में राज्य सरकार के निवेश के पीवी की गणना **कण्डिका 5.6.1.2** में उल्लेखित मान्यताओं पर की गई है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के लिए इन पीएसयूज में राज्य सरकार के निवेश की पीवी की समेकित स्थिति को **परिशिष्ट 6.6** में दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा किये गए निवेश का पीवी ₹ 504.40 करोड़ था।

6.9.2 पूँजी पर प्रतिफल

पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की एक माप है जिसकी गणना शुद्ध आय को अंशधारकों की निधि तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण से विभाजित करके की जाती है। पीएसयूज के क्षेत्रवार आरओई को **तालिका 6.9** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.9: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की क्षेत्रवार आरओई

क्षेत्र		2016–17				2017–18				2018–19			
		पीएसयूज की संख्या	शुद्ध पीएटी	अंश धारकों की निधि	आरओई (%)	पीएसयूज की संख्या	शुद्ध पीएटी	अंश धारकों की निधि	आरओई (%)	पीएसयूज की संख्या	शुद्ध पीएटी	अंश धारकों की निधि	आरओई (%)
लाभार्जन करने वाले	एकाधिकार वाले	2	11.90	298.94	3.98	2	20.94	318.39	6.58	2	30.98	347.52	891
	निश्चित आय वाले	6	64.33	215.61	29.84	6	65.83	284.48	23.14	6	171.13	408.29	41.91
	प्रतिस्पर्धा वाले	2	0.41	110.18	0.37	2	2.47	200.70	1.23	1	0.16	5.38	2.97
	कुल	**10**	**76.64**	**624.73**	**12.27**	**10**	**89.24**	**803.57**	**11.11**	**9**	**202.27**	**761.19**	**26.57**
हानि वहन करने वाले	एकाधिकार वाले	–	–	–	–	1	–2.01	–2.01	–100.03	1	–2.01	–2.01	–100.03
	निश्चित आय वाले	2	–0.10	4.58	–2.18	3	–0.43	4.27	–10.07	2	–0.12	4.48	–2.68
	प्रतिस्पर्धा वाले	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–17.68	260.42	–6.79
	कुल	**2**	**–0.10**	**4.58**	**–2.18**	**4**	**–2.44**	**2.26**	**–107.93**	**4**	**–19.81**	**262.89**	**–7.54**
निरंक लाभ/हानि वाले	एकाधिकार वाले	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	निश्चित आय वाले	1	–	0.10	–	1	–	0.10	–	2	–	0.20	–
	प्रतिस्पर्धा वाले	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	कुल	**2**	–	**0.10**	–	**1**	–	**0.10**	–	**2**	–	**0.20**	–
कुल	एकाधिकार वाले	3	11.90	298.94	3.98	3	18.93	316.38	5.98	3	28.97	345.51	8.38
	निश्चित आय वाले	9	64.23	220.29	29.16	10	65.40	288.85	22.64	10	171.01	412.97	41.41
	प्रतिस्पर्धा वाले	2	0.41	110.18	0.37	2	2.47	200.70	1.23	2	–17.52	265.80	–6.59
	कुल	**14**	**76.54**	**629.41**	**12.16**	**15**	**86.80**	**805.93**	**10.77**	**15**	**182.46**	**1024.28**	**17.81**

यह देखा जा सकता है कि इन सभी पीएसयूज की समग्र आरओई धनात्मक थी एवं 2016–19 के तीन वर्ष के दौरान 10.77 प्रतिशत से 17.81 प्रतिशत के मध्य रही। 2018–19 के दौरान आरओई धनात्मक थी एवं वर्ष 2018–19 से गोदाम किराये की दर में वृद्धि के परिणामस्वरूप सीएसडब्ल्यूसी को हुए लाभ में वृद्धि **(परिशिष्ट 6.1)** के कारण एकाधिकार एवं निश्चित आय क्षेत्र में वृद्धि हुई। आगे, 2018–19 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के पीएसयू (सीएमडीसी) में ब्याज रहित ऋण (आईएफएल) के रूप में ₹ 261.97 करोड़ का अत्यधिक निवेश करने के बाद भी, 2016–19 की अवधि के दौरान आरओई (–) 6.59 प्रतिशत से 1.23 प्रतिशत के मध्य रही।

6.9.3 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान गैर–ऊर्जा क्षेत्र के 15 कार्यरत पीएसयूज की नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) का विवरण **तालिका 6.10** में दिया गया है।

तालिका 6.10: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज की आरओसीई

पीएसयूज की प्रकृति	वर्ष	पीएसयूज की संख्या	ईबीआईटी	नियोजित पूँजी	आरओसीई (प्रतिशत में) 5 = 3/4*100
	1	2	3	4	
			(₹ करोड़ में)		
लाभार्जन करने वाले	2016–17	10	121.96	874.94	13.94
	2017–18	10	138.03	1,228.34	11.24
	2018–19	9	292.52	1,308.71	22.35
हानि वहन करने वाले	2016–17	2	–0.10	4.58	-
	2017–18	4	29.48	341.26	8.64
	2018–19	4	12.11	601.89	2.01
न लाभ/ न हानि वाले	2016–17	2	-	0.10	-
	2017–18	1	-	0.10	-
	2018–19	2	-	0.20	-
कुल	**2016–17**	**14**	**121.86**	**879.62**	**13.85**
	2017–18	**15**	**167.51**	**1,569.70**	**10.67**
	2018–19	**15**	**304.63**	**1,910.80**	**15.94**

यह पाया गया कि 2016–19 की तीन वर्ष की अवधि के दौरान 15 कार्यरत पीएसयूज की आरओसीई धनात्मक थी एवं मुख्य रूप से सीएसडब्ल्यूसी के लाभ में वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 के 13.85 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान बढ़कर 15.94 प्रतिशत हुई।

6.9.4 निवल मूल्य का क्षरण

31 मार्च 2019 की स्थिति में पाँच[18] पीएसयूज की आरओई ऋणात्मक थी एवं संचित हानियाँ ₹ 215.68 करोड़ थी। इन पाँच पीएसयूज में से चार[19] पीएसयूज ने वर्ष 2018–19 में ₹ 19.81 करोड़ की हानियाँ वहन की एवं 2018–19 में एक[20] पीएसयू ने हानि वहन नहीं की यद्यपि इसकी संचित हानि ₹ 210.46 करोड़ थी।

इन पाँच पीएसयूज, जिनके पास संचित हानियाँ थीं, में से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (₹ 2.01 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 205.08 करोड़) के निवल मूल्य का पूर्ण रूप से क्षरण हो गया था, क्योंकि 31 मार्च 2019 की स्थिति में इन पीएसयूज के पूँजी निवेश क्रमशः ₹ 0.0007 करोड़ तथा ₹ 4.43 करोड़ के विरूद्ध संचित हानि क्रमशः ₹ 2.01 करोड़ एवं ₹ 210.46 करोड़ थी।

6.9.5 लाभांश का भुगतान

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ कमाने वाले पीएसयूज को कर पश्चात् लाभ/चुकता पूँजी के न्यूनतम प्रतिशत का प्रतिफल भुगतान करने की आवश्यकता हो।

[18] सीएसएमसीएल, सीएससीएससीएल, सीआरडीसीएल, आरएससीएल एवं सीएमडीसी ।

[19] सीएसएमसीएल, सीआरडीसीएल, आरएससीएल एवं सीएमडीसी ।

[20] सीएससीएससीएल ।

11 पीएसयूज जिनमें राज्य सरकार द्वारा इस अवधि के दौरान पूँजी निवेश किया गया था, लाभांश भुगतान **तालिका–6.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 6.11: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लाभांश भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पीएसयूज की संख्या जिनमें छत्तीसगढ़ सरकार का पूँजी निवेश है		वर्ष के दौरान लाभ कमाने वाले पीएसयूज की संख्या		वर्ष के दौरान लाभांश घोषित तथा भुगतान करने वाले पीएसयूज की संख्या		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूँजी में निवेश	पीएसयूज की संख्या	छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूँजी का निवेश	पीएसयूज की संख्या	घोषित लाभांश/भुगतान	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8=7/5*100)
2016–17	10	49.18	9	44.28	1	1.03	2.33
2017–18	11	49.18	9	43.28	2	2.41	5.57
2018–19	11	49.18	8	43.28	2	3.14	7.26

2016–17 से 2018–19 के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात केवल 2.33 प्रतिशत से 7.26 प्रतिशत के मध्य रहा। 2018–19 के दौरान, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम ने क्रमशः ₹ 2.33 करोड़ एवं ₹ 0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा/भुगतान किया।

6.9.6 गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

पीएसयूज जिनमें 2016–17 से 2018–19 के दौरान ऋण लिए गए थे, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के भुगतान करने की कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज कवरेज अनुपात एवं डेब्ट टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया गया है।

6.9.6.1 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) की गणना पीएसयूज की ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज पर होने वाले व्ययों से विभाजित करके की जाती है। जिन पीएसयूज पर वर्ष 2016–17 से 2018–19 के अवधि के दौरान ऋण पर ब्याज का दायित्व था, के धनात्मक एवं ऋणात्मक आईसीआर का विवरण **तालिका–6.12** में दिया गया है:

तालिका 6.12: गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज का ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	ऋण के दायित्व वाले पीएसयूज की संख्या	पीएएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से अधिक था	पीएसयूज की संख्या जिनका आईसीआर एक से कम था
2016–17	11.75	86.67	4	3	निरंक
2017–18	46.44	124.08	6	3	1
2018–19	42.78	269.93	6	3	1

2016–17 से 2018–19 के दौरान ब्याज के दायित्व वाले सभी गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज में से तीन[21] पीएसयूज जिनका आईसीआर एक से अधिक था, ने ऋणों पर ब्याज का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त, केरवा कोल लिमिटेड का आईसीआर एक से कम था क्योंकि इस अवधि के दौरान इसने दीर्घावधि ऋणों पर ब्याज का भुगतान नही किया।

[21] सीएसडब्ल्यूसी, सीआरबीईकेवीएनएल एवं सीएनजेवीएवीएन।

6.10 राज्य के गैर–ऊर्जा क्षेत्र के पीएसयूज के लेखों पर टिप्पणियाँ

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित 15 सरकारी कम्पनियों में से 12 कम्पनियों ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपने 13 लेखापरीक्षित लेखे प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अग्रेषित किये। इसमें से दस लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाता हैं कि लेखों की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका–6.13** में दिया गया है।

तालिका 6.13: लेखापरीक्षा टिप्पणियों का कार्यरत गैर–ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	93.89	6	152.23	14	186.18
2.	लाभ में वृद्वि	3	1.46	5	38.41	8	28.15
3.	हानि में वृद्वि	1	0.01	4	68.11	2	6.17
4.	हानि में कमी	–	–	2	179.34	1	8.71
5.	महत्त्वपूर्ण तथ्यो का प्रकट न करना	1	2,007.02	4	2,218.82	–	–
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	1	15.37	–	–	–	–

(स्त्रोतः सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)

वर्ष 2018–19 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 12 पीएसयूज के 13 लेखों पर मर्यादित प्रमाण–पत्र जारी किये। इन पीएसयूज द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कमजोर रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 11 वार्षिक लेखों में लेखा मानकों का अनुपालन नहीं करने के 12 मामलों का उल्लेख किया था।

छत्तीसगढ़ राज्य भंडारगृह निगम राज्य में एक सांविधिक निगम है जिसने वर्ष 2018–19 के लिए अपने लेखों को अग्रेषित किया एवं उसी को पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। सांविधिक निगम के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों का कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण **तालिका–6.14** में दिया गया है।

तालिका 6.14: सांविधिक निगम की लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2016–17		2017–18		2018–19	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1	लाभ मे कमी	1	2.60	–	–	1	2.60
2	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	–	–	–	–	1	0.25

(स्त्रोतः सांविधिक निगम के संबंध में सीएजी की टिप्पणियों से संकलित)